

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 447]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 अगस्त 2018—श्रावण 22, शक 1940

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2018

क्र. एफ-30-08-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 3 के परन्तुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदान प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-30-08-2002-दस-3, दिनांक 24 सितम्बर 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी के अनुक्रमांक (इक्यावन) के कॉलम (3) में निम्नलिखित शब्दों का लोप किया जाय, अर्थात्:—

“खण्डवा, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, कटनी और मण्डला जिलों को छोड़कर समस्त जिलों में”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2018

क्र. एफ-30-08-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-30-08-2002-दस-3, दिनांक 10 अगस्त 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैप्टन अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 10th August 2018

No. F-30-08-2002-X-3.—In Exercise of the power conferred by clause (b) of proviso to Rule 3 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000, the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. F-30-08-2002-X-3, dated 24th September 2015 namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, at Serial number (li) of the Table, in column (3), the following words shall be omitted, namely:—

“in all districts except in districts of Khandwa, Burhanpur, Betul, Harda, Chhindwara, Balaghat, Seoni, Shahdol, Umaria, Jabalpur, Katni and Mandla.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CAPT. ANIL KUMAR KHARE, Secy.